राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 466/2018

किरोडीमल गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस (कार्मिक), राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2018
आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ देय तिथी से एवं समस्त पारिणामिक लाभ तथा शेष राशि आदि का भुगतान करते हुये प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सीआईडी सीबी में हुई थी और वर्ष 2001 से अपीलार्थी की पदोन्नति लंबित है, जिसे 15 वर्ष पश्चात् दिनांक 30.11.2017 को अंतिम रूप से दी गई। अपीलार्थी ने हमेशा संतोषजनक सेवायें दी। उनका कथन है कि दिनांक 16.12.2003 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और समस्त लाभ वेतन आदि दिये जाने की प्रार्थना की। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान कर दिया गया। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या

575–76/2022 गोरम्मा सी (मृत्तक) उत्तराधिकारी बनाम प्रबंधक (कार्मिक) हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अपील को स्वीकार किया गया। वर्तमान प्रकरण भी उक्त अपील के समान ही है। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं पदोन्नति का लाभ देय तिथी से एवं समस्त पारिणामिक लाभ तथा शेष राशि आदि का भुगतान करते हुये प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.12.2017 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.04.2001 से समस्त आर्थिक लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश में दिनांक 01.04.2001 से काल्पनिक लाभ दिये जाने के आदेश दिये गये थे। पत्र दिनांक 16.12.2003 के द्वारा वरिष्ठता सूची में जिन कर्मचारियों ने कक्षा–10 या उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उनको समय–समय पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी द्वारा एसएससी प्रथमा से की गई है, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर ने दसवीं की कक्षा की समकक्ष योग्यता के अनुसार नहीं होने के कारण पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सीआईडी सीबी में हुई थी और वर्ष 2001 से अपीलार्थी की पदोन्नति लंबित है, जिसे 15 वर्ष पश्चात् दिनांक 30.11.2017 को अंतिम रूप से दी गई। दिनांक 16.12.2003 को वरिष्ठता सूची जारी की गई। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान कर दिया गया। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया। जहां तक अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का समस्त लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आदेश दिनांक

16.12.2003 के द्वारा वरिष्ठता सूची में जिन कर्मचारियों ने कक्षा–10 या उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उनको समय–समय पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी द्वारा एसएससी प्रथमा से की गई है, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर ने दसवीं की कक्षा की समकक्ष योग्यता के अनुसार नहीं होने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं दी गई। इस प्रकार वांछित योग्यता अपीलार्थी के पास नहीं होने के कारण उसे उक्त पदोन्नति के समस्त लाभ प्रदान किये जाने से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोरम्मा सी वाले मामले में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2022 का जो उल्लेख किया है वह मामला अपीलार्थी के मामले से भिन्न है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)